कार्यालय - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवहर।

काउन्सलिंग सूचना

वेबसाइट- www. dietsheohar.com
इमेल- dietsheohar@gmail.com

डी0 एल0 एड0 प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के निर्धारित100 सीटों के विरूद्ध चयन सूची संस्थान के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यार्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घोतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नही। चयनित अभ्यार्थी दिनांक 30/01/2021 से 05/02/2021 तक कार्यालय के कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजो के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिचित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नही लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिन्ट आवेदन पत्र के प्रविशिटयों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत ही उसी समय उन्हे पेमेंट लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क संस्थान के वेबसाईट पर ऑनलाइन भुगतान कर भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा कराना होगा जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण-पत्रों एवं शर्तो के साथ उपस्थित होंगें-

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक एवं प्रमाण-पत्र।
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विषेश दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।(यदि लागू हो)
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यियल परित्याग प्रमाण-पत्र।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
8. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/-(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये) एवं अनुसूचित जाति जन जाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/-(सात हजार रूपये) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा।
9. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वाअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगें।
10. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशी किसी भी स्थिति मे वापस नही की जाएगी।
12. स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकिस्तक के द्वारा)
13. उपर्युक्त सभी षर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

नोटः-महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।

29/01/2021

Principal
DIET, Sheohar
29/1/21